



## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)  
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

### महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2019-20 के सैकेण्डरी तक स्थाई मान्यता तथा सीनियर सैकेण्डरी स्तर तक अस्थाई मान्यता प्राप्त है, ऐसे विद्यालय कक्षा दसवीं तक की निरन्तरता शुल्क/सम्बद्धता आवेदन-पत्र 2000/- रुपये बिना किसी विलम्ब शुल्क सहित 04.10.2019 तक तथा 05.10.2019 से विलम्ब शुल्क 5000/- रुपये सहित आवेदन करते हुए कक्षा नौवीं व दसवीं तक अपना एनरोलमेंट एवं दसवीं के परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

सहायक सचिव (सम्बद्धता)  
कृते: सचिव